

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 18 फरवरी, 2011

विषय:- कृषि यंत्रों/उपकरण/ सामग्री आदि के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 9905, दिनांक 2 फरवरी 2011 के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि यंत्र/उपकरण/सामग्री आदि के समय-समय पर क्रय किये जाने की कार्यवाही कृषि निदेशालय एवं जनपद स्तर पर पूर्व की भांति की जायेगी।

2. उपकरण/यंत्र/सामग्री आदि क्रय के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. इस आदेश के जारी होने के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1, संख्या-1305/XIII-1/2010-1(225)2002, दिनांक 29 दिसम्बर 2010 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

4. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से मान्य होंगे।

भवदीय,
Om Prakash
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या / XIII-I / 2011-1(225)2002, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कुलपति, गोव0पन्त, कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, पन्तनगर।
8. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
सचिव